राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्रांक – न0नि0–50–36 / 2025 3905

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा, (भा0प्र0से0)
सचिव

सेवा में,

प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमण्डल।
जिला दण्डाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
औरंगाबाद।

पटना, दिनांक – 26.9.25

विषयः नवगठित नगर पंचायत मदनपुर के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के गठन / परिसीमन के संबंध में।

प्रसंगः नगर विकास एवं आवास विभाग का अधिसूचना सहपठित ज्ञापांक–2427, दिनांक–14.08.2025 एवं जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद का पत्रांक–2047 / सा0, दिनांक–02.09.2025

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगर विकास एवं आवास विभाग की प्रासंगिक अधिसूचना से नगर पंचायत मदनपुर का गठन किया गया है। आयोग के अनुरोध पर नवगठित नगर पंचायत मदनपुर के संबंध में उक्त अधिसूचना में अंकित जनसंख्या की संपुष्टि जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के द्वारा प्रासंगिक पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। नवगठित उक्त नगर पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र / वार्ड का गठन / परिसीमन संविधान के अनुच्छेद 243 R सह पठित बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 13 में निर्धारित विहित रीति से आयोग द्वारा करते हुए कुल वार्डों की संख्या निर्धारित की गयी है। **पुनः संविधान के अनुच्छेद 243 ZA(i) सह पठित बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 14 एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली के नियम 29(1) तथा नियम 92 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निकाय में वार्डों के गठन / परिसीमन हेतु निम्नलिखित मानक अनुपालन प्रक्रिया (SOP) का निर्धारण करते हुए गठित वार्ड के परिसीमन का आदेश दिया जाता हैः–**

(1) **वार्ड के परिसीमन का उत्तरदायित्व संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) पर होगा, जिसका पर्यवेक्षण / अनुश्रवण संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा किया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) अपने उत्तरदायित्व को किसी अधीनस्थ / अन्य पदाधिकारी को हस्तांतरित नहीं कर सकते, परन्तु इस कार्य में आवश्यक सहयोग प्राप्त करने हेतु उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी–सह–अनुमंडल दण्डाधिकारी से अन्यून पदाधिकारी को परिसीमन कार्य हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है,** इस प्रकार **"प्राधिकृत पदाधिकारी"** का तात्पर्य **नगर निकाय के बारे में अनुमंडल दण्डाधिकारी से अन्यून स्तर के पदाधिकारी से है। किसी भी स्थिति में नगरपालिका के अधीन कार्यरत किसी पदाधिकारी को प्राधिकृत पदाधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा।**

इसके बावजूद जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के कार्यों का सतत पर्यवेक्षण/अनुश्रवण किया जाएगा। यदि वार्ड गठन/परिसीमन घोर अनियमितता एवं लापरवाही के साथ की जाती है, तथा अंतिम रूप से अनुमोदित प्रपत्र–6 तथा मानचित्र की प्राप्ति के उपरांत आयोग स्तर पर समीक्षा के क्रम में इसे स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को प्राथमिक रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

(2) नगर विकास एवं आवास विभाग की प्रासंगिक अधिसूचनाओं से संबंधित जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के द्वारा नगर निकाय का भौगोलिक सीमांकन एवं जनसंख्या नियत की जा चुकी है। अतएव उक्त नगर निकाय को वार्डों में विखंडित कर प्रत्येक वार्ड का सीमांकन किया जायेगा तथा वार्डों को नगर निकाय के मानचित्र में स्पष्ट रूप से दर्शाया जायेगा।

(3) प्रत्येक वार्ड में सटे हुए इलाके रहेंगे तथा प्रत्येक वार्ड का गठन इस प्रकार किया जायेगा ताकि उसे दूसरे वार्डों से स्पष्ट रूप से अलग समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होने पाये, अर्थात् वार्डो का गठन इस प्रकार किया जायेगा ताकि उसकी चौहद्दी कोई सड़क, गली, मुख्य इमारत या स्थान, सरकारी भवन/निजी भवन या अन्य कोई वस्तु हो जिनके द्वारा संबंधित वार्डों एवं उसकी सीमा को आसानी से पहचाना जा सके। आम तौर पर वार्ड की चौहद्दी प्राकृतिक या कृत्रिम वस्तुओं के जरिये एक दूसरे से साफ–साफ अलग रहेगी ताकि मतदाता सूची बनाने में वार्डो की सीमाओं में कोई संशय नहीं रहे एवं प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची स्पष्ट रूप से तैयार की जा सके।

(4) नगर निकाय की जनसंख्या के आधार पर अनुमान्य वार्डो का विवरण निम्नांकित सूची के अनुसार निम्नवत निर्धारित है –

सूची (नगर पंचायत मदनपुर)

क्रम सं0	जिला का नाम	नगर निकाय का नाम	2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या (नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना के आधार पर)	अनुसूचित जाति की जनसंख्या (वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर)	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या (वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर)	अनुमन्य वार्डो की संख्या	वार्डों की संख्या पूर्णाकित करने पर	औसत जनसंख्या (पूर्णाकित)	मानक जनसंख्या (परास)
			कुल जनसंख्या						
1	औरंगाबाद	नगर पंचायत मदनपुर	12131	3534	00	10.06	10	1213	713 - 1713

नोट– प्रथम 12 हजार की जनसंख्या हेतु 10 वार्ड अर्थात् न्यूनतम कुल 10 वार्ड का गठन नियमानुसार किया गया है।

(5) उक्त नगर निकाय को अनुमान्य वार्डो में विखंडित करते समय यह ध्यान में रखा जायेगा कि प्रत्येक वार्ड की आबादी यथाशक्य संपूर्ण नगर निकाय में एक ही हो। मानक जनसंख्या निर्धारित करने का एक ही उद्देश्य है कि वार्डो के स्पष्ट सीमांकन में अगर व्यवधान हो रहा हो तभी जनसंख्या औसत जनसंख्या से विचलित कर मानक जनसंख्या के मध्य तक की सीमा में रखी जायेगी, अन्यथा यथासंभव औसत जनसंख्या या उसके निकट रखकर सीमांकन सम्पन्न किया जायेगा। नगर निकाय

के चुनाव के लिए 2011 की जनसंख्या को आधार बनाया गया है, अर्थात् 2011 की जनगणना में जो आबादी दर्शायी गयी है उसी के आधार पर वार्डों का गठन किया जायेगा। **वार्डों के गठन में अत्यधिक सर्तकता एवं पारदर्शिता बरती जानी चाहिए ताकि वार्डों का गठन जाति/धर्म/समुदाय/राजनीतिक आधार पर नहीं हो।**

(6) अगर किसी विशेष कारणवश मानक जनसंख्या के अधीन किसी वार्ड का गठन करना संभव नहीं हो तो पूर्ण औचित्य के साथ स्पष्ट विवरण आयोग को भेजा जाएगा, जिस पर विचारोपरांत आयोग सम्यक आदेश देगा।

ध्यातव्य रहें कि मानक जनसंख्या से विचलन की स्थिति में अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रपत्र–6 में प्रारूप प्रकाशन के पूर्व ही प्रेषित किया जाए। प्रस्ताव के साथ इसको तैयार करने वाले पदाधिकारी को आयोग कार्यालय में उपस्थित होने हेतु प्राधिकृत किया जाए। प्राधिकृत पदाधिकारी साक्ष्य स्वरूप आयोग के इस पत्र/चेकलिस्ट में दिये गये निदेशों के अन्य बिन्दुओं के अनुपालन प्रतिवेदन साथ में लेकर उपस्थित होगें, ताकि वे भौगोलिक बाध्यताओं एवं औचित्यपूर्ण कारणों से आयोग को अवगत करा सकें। किसी भी स्थिति में प्रारूप प्रकाशन के उपरांत विचलन की स्थिति में अनुमोदन हेतु प्रस्ताव आयोग को प्रेषित नहीं किया जाए।

(7) वार्डों के गठन के पश्चात प्रत्येक वार्ड का संख्यांकन किया जायेगा। वार्डों का संख्यांकन उत्तर पश्चिम दिशा से प्रारंभ कर दक्षिण–पूरब दिशा में समाप्त किया जायेगा। वार्डों का संख्यांकन इस प्रकार किया जायेगा कि वार्डों का संख्यांकन 1(एक) से शुरू होकर लगातार वार्ड संख्या 1, वार्ड संख्या 2, वार्ड संख्या 3 इत्यादि के रूप में हो। इस प्रकार संख्यांकित वार्डों की भौगोलिक तारतम्यता बनी रहनी चाहिए तथा एक के बाद एक संख्यांकित वार्ड एक दूसरे से सटे हुए रहने चाहिए।

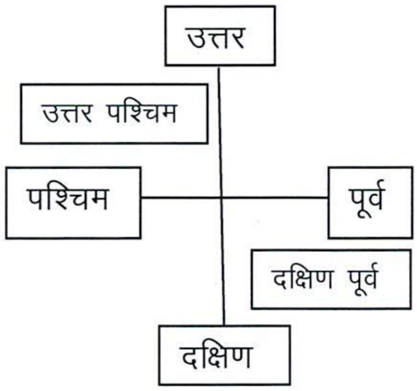

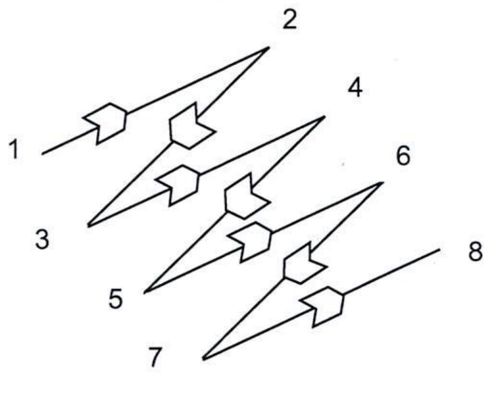

(8) उपर्युक्त तरीके से नगर निकाय का गठन तथा संख्यांकन के पश्चात संलग्न प्रपत्र 6 में संबंधित नगर निकाय के सूचना पट तथा जिला दण्डाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट में संलग्न निर्धारित समय सारिणी के अनुसार प्रारूप प्रकाशित किया जायेगा। प्रारूप प्रकाशन की सूचना नगर निकाय क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यन्त्रों एवं वेबसाईट से भी दे दी जायेगी, इसके अतिरिक्त चुनाव की भाँति परिसीमन कार्य का प्रचार–प्रसार अन्य माध्यमों से भी कराया जायेगा। **प्रारूप प्रकाशित करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि प्रपत्र– 6 से भिन्न अन्य किसी प्रपत्र या रूप में प्रारूप प्रकाशन नहीं किया जाए। प्रपत्र 6 के विभिन्न स्तंभों के विरूद्ध सभी आवश्यक प्रविष्टियाँ भी सही रूप से भरी जानी चाहिए।**

(9) वार्ड गठन के सम्पूर्ण चरण की जानकारी तथा **प्रारूप प्रपत्र 6** के प्रकाशन की सूचना आम जनों हेतु दो राज्यस्तरीय दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। जिन दैनिक समाचार पत्रों में उक्त सूचनाओं को प्रकाशित किया जाएगा, उसमें यह अनिवार्य रूप से उल्लेखित होगा की इनका प्रकाशन **'पटना संस्करण'** तथा उसी क्षेत्र विशेष के **''संस्करण'** में किया जाए, जिस क्षेत्र में वह नगर निकाय अवस्थित है। यथा – औरंगाबाद हेतु पटना संस्करण के साथ–साथ औरंगाबाद संस्करण में किया जाना अनिवार्य होगा।

(10) प्रारूप–प्रकाशन के पूर्व प्राधिकृत पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह प्रारूप–प्रकाशन के पूर्व **''प्रारूप–प्रपत्र–06''** पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी का **अनुमोदन प्राप्त करेंगे।** जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी **''प्रारूप–प्रपत्र–06''** पर अनुमोदन के पूर्व सभी आवश्यक वैधानिक प्रावधानों एवं आयोग के दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, इस तथ्य का परीक्षण कर लेंगें कि **''प्रारूप–प्रपत्र–06''** में किसी प्रकार की खामी नहीं है।

''प्रारूप–प्रपत्र–06'' पर प्राप्त दावा–आपत्ति/परिवाद/सुझाव आदि के निष्पादन के उपरांत Provisional नक्शा एवं **''प्रपत्र–06''** के प्रकाशन के पूर्व भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी का **अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।**

(11) उक्त रूप से प्रारूप प्रकाशित वार्डो के बारे में प्रारूप प्रकाशन की तिथि से संलग्न समय सारणी के अनुसार वार्डो के गठन के बारे में जिला दण्डाधिकारी के समक्ष या जिला दण्डाधिकारी को सूचित करते हुए उनके द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी के समक्ष आपत्तियाँ दर्ज की जा सकेगी। आपत्तियाँ प्रारूप प्रकाशित वार्डो के सिर्फ परिसीमन, जनसंख्या तथा वार्डो के संख्यांकन से संबंधित बिन्दुओं पर ही दी जा सकेगी।

(12) **यह सुनिश्चित करना जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका) का दायित्व है कि वार्डों के गठन एवं परिसीमन में किसी प्रकार के अनियमितता अथवा त्रुटि नहीं होने पाए। स्पष्ट किया जाता है कि अंतिम रूप से प्रकाशित प्रपत्र–6 में अगर अधिकारियों की किसी लापरवाही, शिथिलता अथवा गलत मंशा के कारण त्रुटि अथवा खामी आयोग की दृष्टि में लाई जाएगी तो आयोग ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करेगा। जिला दण्डाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) वार्डो के गठन/परिसीमन हेतु सीधे उत्तरदायी होगें। अतः वार्ड गठन/परिसीमन का सतत् पर्यवेक्षण/अनुश्रवण उनके स्तर से अतिआवश्यक है।**

(13) जिला दण्डाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक जाँचोपरांत आवश्यक आदेश पारित किया जायेगा जो अंतिम होगा। इस प्रकार **''प्राधिकृत पदाधिकारी'' का तात्पर्य नगर निकाय के बारे में अनुमंडल दण्डाधिकारी से अन्यून स्तर के पदाधिकारी से है। किसी भी स्थिति में नगरपालिका के अधीन कार्यरत किसी पदाधिकारी को प्राधिकृत पदाधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा।** प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन प्रारूप प्रकाशन के उपरांत संलग्न समय सारिणी के अनुसार किया जायेगा। **प्राप्त दावा–आपत्ति का निष्पादन समानुपातिक रूप से प्रत्येक कार्य दिवस को करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि प्राप्त दावा–आपत्ति का गुणवत्ता–पूर्वक ससमय निष्पादन किया जा सकें।**

(14) आपत्तियों के निष्पादन के पश्चात यदि प्रारूप प्रकाशित वार्डो में किसी प्रकार का संशोधन आवश्यक हो तो उसे सम्मिलित करते हुए संबंधित नगर निकाय के वार्डो की अंतिम सूची संलग्न प्रपत्र–6 में तैयार की जायेगी और उस पर संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त कर संलग्न विहित समय सारिणी के अनुसार उसे संबंधित जिला गजट में नगर निकाय के मानचित्र

सहित प्रकाशित किया जायेगा तथा उसकी प्रति मानचित्र सहित संबंधित नगर निकाय, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) एवं जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजी जायेगी। **इस प्रकार अंतिम रूप से तैयार की गई वार्डों की सूची में बिना राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश से किसी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन नहीं किया जा सकेगा।**

(15) वार्डों के गठन से संबंधित एक चेक लिस्ट भी इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है जिसके अनुरूप कार्रवाई किए जाने से त्रुटियों की गुंजाइश नगण्य हो सकती है। आयोग द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार **अंतिम रूप से गठित वार्डों का दिनांक 12.12.2025 को जिला गजट में प्रकाशन किया जाना है।** उसके दो–तीन दिन पूर्व ही संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त से अंतिम रूप से तैयार किए गए प्रपत्र–6 तथा उससे संबंधित मानचित्र में की गई प्रविष्टियों पर स्वीकृति प्राप्त कर लिया जाएगा। **संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त अंतिम रूप से तैयार किए गए प्रपत्र–6 तथा उससे संबंधित मानचित्र में की गई प्रविष्टियों के बारे में संतुष्ट होने के पश्चात उसे स्वीकृत करते हुए अपना हस्ताक्षर करेंगे।** इस प्रकार प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा स्वीकृत तथा हस्ताक्षरित प्रपत्र 6 तथा उससे संबंधित मानचित्र को कार्यालय की प्रति के रूप में अभिलेख के तौर पर जिला दण्डाधिकारी के कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा और इसके आधार पर ही अंतिम प्रपत्र 6 तथा उससे संबंधित मानचित्र को दिनांक **12.12.2025** को जिला गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

(16) प्रपत्र 6 एवं चेक लिस्ट का मुद्रण या फोटो प्रति जिला दण्डाधिकारी द्वारा अपने स्तर पर कराया जायेगा। **जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) से अनुरोध है कि इस पत्र की पर्याप्त प्रतियाँ अपने स्तर पर तैयार कर सभी संबंधित को तुरंत उपलब्ध करा दी जाय तथा संबंधित अधिकारियों की एक बैठक जिला स्तर पर शीघ्र बुलाकर वार्डो के गठन एवं परिसीमन के संबंध में आयोग के उपर्युक्त निदेशों को स्पष्ट करने की कार्रवाई की जाए ताकि विहित समय सारिणी के अनुसार सभी विहित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकें।**

(17) प्रत्येक चरण में आयोग के पोर्टल पर सभी आवश्यक सूचनाओं की ऑनलाईन प्रविष्टि Real Time Basis पर आवश्यक होगी, तथा इसकी जिम्मेवारी संबंधित प्राधिकृत पदाधिकारी की होगी। आयोग के आई.टी. टीम के आवश्यक सहयोग एवं प्रशिक्षण इस संबंध में प्राप्त किया जा सकता है।

वार्ड गठन के प्रत्येक चरण की प्रविष्टि पोर्टल पर करने हेतु User Mnual संलग्न की जा रही है, जो इस दिशा–निर्देश का अभिन्न अंग माना जाएगा। आवश्यक सहयोग एवं प्रशिक्षण हेतु आयोग के आई0टी0 प्रबंधक, श्री नीतीश कुमार, मो0–8709899672 तथा श्री राहुल कुमार, निदेशक, एस0ई0आर0, पटना, मो0–8789411175 से दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(18) इस निदेश के साथ संलग्न किये गये सभी प्रपत्र यथा चेक–लिस्ट, समय सारणी, दावा–आपत्ति प्रारूप, परिवाद निष्पादन प्रक्रिया आदि निदेश का आवश्यक अंग माना जाएगा, साथ ही प्रक्रिया के क्रम में जारी पूरक दिशा–निर्देश भी इसमें समाहित समझा जाएगा।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

26/IX/25

सचिव

ज्ञापांक – न0नि0–50–36/2025 3905 पटना, दिनांक – 26.9.25

प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

26/IX/25

सचिव

ज्ञापांक – न0नि0–50–36/2025 3905 पटना, दिनांक – 26.9.25

प्रतिलिपि – सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/IX/25

सचिव

ज्ञापांक – न0नि0–50–36/2025 3905 पटना, दिनांक – 26.9.25

प्रतिलिपि – 1. आई.टी. प्रबंधक/SER टीम को आयोग के वेबसाईट पर अपलोड करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सुश्री प्रीति कुमार, स0 प्र0 पदा0 को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेश है कि सम्पूर्ण कार्यक्रम का प्रकाशन प्रिंट मीडिया/सोशल मीडिया के माध्यम से कराने की कार्यवाई अविलम्ब सुनिश्चित किया जाए।

26/IX/25

सचिव

वार्ड गठन से संबंधित कार्यों का अनुक्रम (Flow chart)

सर्वप्रथम आयोग के दिशा–निर्देशों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर इसका मनन कर लिया जाए। यदि किसी प्रकार की शंका हो तो आयोग के वरीय प्रभारी पदाधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया जाए।

⇩

पूर्व से कार्यरत निकाय यथा ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निगम के वार्डो के **पूर्व परिसीमा को शून्य कर दिया जाए।**

⇩

नगर निकाय (नगर निकाय/नगर परिषद्/नगर निगम) का क्षेत्र एवं सीमा को चिह्नित (identified) (नक्शा के साथ) किया जाए।

⇩

संशोधित नियमावली के अनुसार अनुमान्य संख्या में निर्धारित वार्डो का गठन किया जाए।

⇩

वार्ड की सीमा भौगोलिक, प्राकृतिक या कृत्रिम वस्तु के जरिये एक दूसरे से साफ–साफ अलग किया जाए।

⇩

जनसंख्या का आधार 2011 जनगणना को रखा जाए।

⇩

नगर निकाय की 2011 की कुल जनसंख्या एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का आंकलन किया जाए। इसके लिए जनगणना में कर्णांकित मकान/भवन संख्या का प्रयोग किया जाए।

⇩

यथाशाक्य औसत जनसंख्या के आसपास प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या रखने का प्रयास किया जाए

⇩

औसत जनसंख्या से विचलन की स्थिति में मानक जनसंख्या की गणना में +/– 500 (नगर निगम हेतु +/– 1000) किया जाए।

वार्डों की जनसंख्या मानक जनसंख्या के अंदर ही रखा जाए।

⇩

वार्डों की जनसंख्या मानक जनसंख्या से अधिक या कम होने की स्थिति में तो आयोग का अनुमोदन अवश्य प्राप्त किया जाए।

⇩

संख्यांकन उत्तर पश्चिम से प्रारंभ करते हुए दक्षिण–पूर्व में उसका समापन किया जाए। संख्यांकन लगातार (continuous) होना आवश्यक हो इसका ध्यान रखा जाए।

⇩

नगर निकाय क्षेत्र के सभी होल्डिंग को किसी न किसी वार्ड में शामिल अवश्य कर लिया जाए।

⇩

प्रपत्र–6 नियमावली के अनुरूप तैयार किया जाए। सभी प्रविष्टियाँ सही रूप से अंकित की जाए तथा चौहद्दी के उर्ध्व स्तंभ में दर्शाया जाए।

⇩

आयोग द्वारा निर्धारित अवधि में प्रत्येक चरण का प्रारूप प्रकाशित कर आपत्तियाँ प्राप्त की जाए। प्रारूप का आयोग के पोर्टल पर प्रविष्टि प्रकाशन के तिथि को ही किया जाए।

⇩

प्रारूप प्रकाशन की अवधि में वार्ड गठन के विरूद्ध आपत्तियाँ प्राप्त करने हेतु व्यापक प्रचार –प्रसार किया जाए, तथा आपत्तियों का निष्पादन निर्धारित विधि से करते हुए इसे आयोग के वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।

⇩

वार्ड गठन के कार्य से जुड़े अधिकारियों द्वारा प्रारूप प्रपत्र–6 को एक से अधिक बार स्वयं भी जाँच लिया जाए, तथा परिलक्षित अनियमितताओं / विसंगतियों / खामियों / त्रुटियों का निराकरण /परिमार्जन कर लिया जाए।

⇩

अंतिम रूप से प्रकाशित किए जाने वाले **प्रपत्र–6** तथा तद्नुसार नगर निकाय (नगर निकाय / नगर परिषद् / नगर निगम) के **मानचित्र** पर संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) एवं संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त का **हस्ताक्षर एवं अनुमोदन** प्राप्त कर लिया जाए। इसकी कम से कम छः प्रतियाँ मूल में तैयार की जाए।

⇩

जिला गजट में वार्ड की सूची के प्रकाशन के साथ मानचित्र संलग्न किया जाए।

वार्डों के गठन हेतु समय सारिणी।

1.	वार्डो का परिसीमन एवं गठन	–	**03.10.2025 से 20.10.2025 तक ।**
2.	गठित वार्डों का प्रारूप प्रकाशन	–	**21.10.2025 ।**
3.	दावा–आपत्तियों की प्राप्ति की अवधि	–	**21.10.2025 से 15.11.2025 तक ।**
4.	प्रारूप प्रकाशन के दौरान प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन	–	**24.10.2025 से 22.11.2025 ।**
5.	आपत्तियों के निष्पादन के उपरांत प्रोविजनल नक्शा एवं चौहद्दी सहित वार्ड का प्रकाशन एवं सीमित आपत्ति की प्राप्ति	–	**24.11.2025 से 01.12.2025 तक ।**
6.	वार्डों की सूची तैयार कर उस पर प्रमंडलीय आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्राप्त सीमित आपत्ति के साथ प्रोविजनल नक्शा का प्रेषण एवं प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा सुनवाई के उपरांत अंतिम अनुमोदन	–	**03.12.2025 से 10.12.2025 ।**
7.	अंतिम रूप से गठित वार्डो का जिला **गजट** में प्रकाशन	–	**17.12.2025 तक ।**
8.	राज्य सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) एवं राज्य निर्वाचन आयोग को जिला गजट में प्रकाशित वार्डो की सूची **(प्रपत्र 6) एवं मानचित्र (सभी मूल प्रति में)** प्राप्त करने की अंतिम तिथि	–	**24.12.2025 तक ।**

दावा – आपत्ति के निष्पादन हेतु दिशा–निर्देश

पत्र में वर्णित सामान्य निर्देशों के अतिरिक्त दावा–आपत्ति के निष्पादन हेतु विशिष्ट दिशा–निर्देश निम्नवत् है :–

1. प्रारूप प्रकाशन के उपरांत विहित प्रपत्र में दावा–आपत्ति प्राप्त किया जाएगा। इसके बावजूद **यदि कोई हितधारक/आम नागरिक दावा–आपत्ति अवधि में विहित प्रपत्र में दावा–आपत्ति नहीं करता है, तो भी उनसे प्राप्त आवेदन/परिवाद/सुझाव को दावा–आपत्ति मानते हुए उसका निष्पादन विहित रीति से किया जाएगा।**

2. प्रारूप प्रकाशन के उपरांत प्राप्त सभी दावा–आपत्तियों/परिवाद/सुझाव हेतु अलग–अलग पृष्ठांकित संचिकाएं संधारित की जाएगीं।

3. दावा आपत्ति के अवधि में प्राप्त होने वाले सभी आपत्तियों चाहे वह सीधे वार्ड गठन/परिसीमन करने वाले पदाधिकारी के कार्यालय में प्राप्त हो, अथवा जिला दण्डाधिकारी के कार्यालय अथवा आयोग कार्यालय से अग्रसारित हो, को एक समान वरीयता प्रदान करते हुए निष्पादित की जाएगीं।

4. दावा आपत्ति की अवधि के उपरांत यदि कोई परिवाद प्राप्त होता है, तो उसे सामान्य परिवाद की भांति निष्पादित किया जाएगा। उस आपत्ति को वैधानिक आपत्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5. प्राप्त आपत्तियों को हर हाल में उसी दिन आयोग के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, तथा निष्पादन के उपरांत भी आदेश फलक अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

6. सीधे कार्यालय में आपत्ति करने वाले आपत्तिकर्ता को संलग्न विहित प्रपत्र में पावती अवश्य दी जाएगी। (पावती का विहित प्रपत्र संलग्न)

7. आपत्तिकर्ता एवं प्रभावित पक्ष एवं अन्य हितधारकों को विधिवत सूचना/नोटिस (नोटिस की प्रति संलग्न) दे कर सुनवाई की जाएगी, तथा सुनवाई में उनकी उपस्थिति विधिवत उपस्थिति पंजी में प्राप्त कर पंजी संधारित की जाएगी।

8. सुनवाई के दौरान सभी प्रक्रियाओं को आदेश फलक पर अंकित करते हुए सकारण आदेश पारित किया जाएगा कि क्यों आपत्तिकर्ता का दावा स्वीकार किया गया है, अथवा अस्वीकृत किया जा रहा है।

9. सुनवाई के दौरान सभी गतिविधियों का विडियोग्राफी कराया जाएगा तथा विडियो फुटेज सुरक्षित संधारित किया जाएगा।

सीमित आपत्ति

10. प्रोविजनल वार्ड गठन/परिसीमन के प्रकाशनोपरांत केवल ऐसे मामलों में आपत्ति प्राप्त की जाएगी जिसमें कि प्रारूप प्रकाशन से संतुष्ट किसी पक्ष द्वारा आपत्ति नहीं किया गया हो तथा

किसी दूसरे व्यक्ति के आपत्ति के निराकरण हेतु प्रकाशित प्रारूप में परिवर्तन किया गया हो और उन्हें इसकी जानकारी प्रदान नहीं की गई हो या परिवर्तन के पूर्व हुए सुनवाई में उन्हें सम्मिलित नहीं किया गया हों।

11. इसके अतिरिक्त ऐसे मामलें जिसमें वैधानिक प्रावधानों का उल्लघंन हुआ हो, परंतु इसका निर्धारण कि ''वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है'', **जिला दण्डाधिकारी के विवेकाधीन होगा।**

इसके अतिरिक्त प्रोविजनल वार्ड गठन/परिसीमन के विरूद्ध कोई भी आपत्ति सीमित आपत्ति के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

12. जब अनुमोदन हेतु प्रोविजनल वार्ड गठन/परिसीमन का प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त को प्रेषित किया जाएगा तो प्राप्त 'सीमित आपत्ति' भी उन्हें प्रेषित की जाएगी।

13. प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा अनुमोदन हेतु प्राप्त प्रस्ताव एवं 'सीमित आपत्ति' पर विचार करते हुए आपत्तियों का निष्पादन उक्त विहित रीति से अधिकतम 3 दिनों में सुनिश्चित किया जाएगा।

14. यदि सुनवाई के दौरान प्रोविजलन परिसीमन/वार्ड गठन एवं नक्शा में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो आदेश फलक के साथ उसे जिला दण्डाधिकारी को वापस कर दिया जाएगा तथा जिला दण्डाधिकारी अविलम्ब त्रुटि सुधार के साथ परिसीमन/वार्ड गठन एवं नक्शा पर अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

नगरपालिका निर्वाचन
परिसीमन / वार्ड गठन के विरूद्ध आपत्ति की सुनवाई हेतु नोटिस

मैं ....जिला दण्डाधिकारी / प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–..इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित करता हूँ कि वार्ड सं0 .... के परिसीमन / वार्ड गठन प्रारूप पर से आपत्ति प्राप्त हुआ है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैः–

1. आपत्तिकर्त्ता का नाम एवं पता –

2. आपत्ति का संक्षिप्त विवरण –

आपत्ति पर सुनवाई की दिनांक .... पूर्वाह्न / अपराह्न .... बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निर्धारित है, जिसमें स्वयं आपका साक्ष्यों के साथ उपस्थित होकर आपका पक्ष रखना अनिवार्य है। अनुपस्थित करने की स्थिति में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है।

ध्यातव्य रहे कि वार्ड गठन / परिसीमन कार्यक्रम पूर्व निर्धारित है तथा वैधानिक प्रावधानों के अधीन समयसीमा से बंधा है, इसलिए किसी प्रकार का समय विस्तार देय नहीं है।

प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नोटः– प्राप्त करने से इन्कार करने पर आपत्तिकर्त्ता / प्रभावित पक्ष के लिखित पते पर नोटिस चिपाकाएँ एवं Geotag फोटो तथा दो गवाह का हस्ताक्षर प्राप्त किया जाए।

ज्ञापांक–   दिनांक–

प्रतिलिपि ....(आपत्तिकर्त्ता / परिवादी का नाम एवं पता) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि उक्त वर्णित सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को ससमय उपस्थित होकर अपने दावे के समर्थन में निर्विवाद / ठोस साक्ष्य दिया जाए।

प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नगरपालिका निर्वाचन

वार्ड गठन / परिसीमन के विरूद्ध आपत्ति की पावती

(कार्यालय की प्रति)

1. जिला–
2. नगरपालिका का नाम –
3. आपत्तिकर्त्ता का नाम एवं पता –
4. वार्ड संख्या (जिनके विरूद्ध आपत्ति की गई है) –
5. आपत्ति की तिथि (अनिवार्य रूप से अंकित की जाय) –
6. आपत्ति का समय (अनिवार्य रूप से अंकित की जाय) –

प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर
(नाम एवं पदनाम सहित)

आपत्तिकर्त्ता का हस्ताक्षर

नगरपालिका निर्वाचन

वार्ड गठन / परिसीमन के विरूद्ध आपत्ति की पावती

(आपत्तिकर्त्ता की प्रति)

1. जिला–
2. नगरपालिका का नाम –
3. आपत्तिकर्त्ता का नाम एवं पता –
4. वार्ड संख्या (जिनके विरूद्ध आपत्ति की गई है) –
5. आपत्ति की तिथि (अनिवार्य रूप से अंकित की जाय) –
6. आपत्ति का समय (अनिवार्य रूप से अंकित की जाय) –

प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर
(नाम एवं पदनाम सहित)

आपत्तिकर्त्ता का हस्ताक्षर

नगरपालिका निर्वाचन
वार्ड गठन/परिसीमन के विरूद्ध दावा–आपत्ति का प्रारूप

सेवा में,

प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–
....
....
....

विषय : .... (नगर निकाय का नाम) के वार्ड गठन/परिसीमन के संबंध में दावा–आपत्ति।

दावा–आपत्ति का कारण (कारण/कारणों पर सही का निशान लगायें)–

1.	क्षेत्र में अथवा चौहद्दी में त्रुटि	( )
2.	जनसंख्या में त्रुटि	( )
3.	जनसंख्या के बसावट को दर्शाने में त्रुटि	( )
4.	अन्य कारण	( )

दावा–आपत्ति का संक्षिप्त विवरण–

____
____
____
____
____
____

दावे–आपत्ति के समर्थन में साक्ष्य –

1.
2.
3.
4.

____

घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ की मैं नवगठित/विस्तारित/उत्क्रमित .... (नगरपालिका का नाम) परिक्षेत्र का निवासी हूँ। उपर लिखित तथ्य और विशिष्टियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।

स्थान –
दिनांक–
समय –

दावाकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

नोटः– दावाकर्त्ता विहित प्रपत्र में प्राप्ति रशीद अवश्य प्राप्त करें।